



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 21, 2019/माघ 1, 1940
No. 251] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 21, 2019/MAGHA 1, 1940

दिल्ली विकास प्राधिकरण

ड्राफ्ट अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2019

परिसरों के मिश्रित उपयोग /व्यावसायिक उपयोग और दुकान एवं आवास प्लॉटों बाद में स्थानीय बाजारों के रूप में निर्धारित परिसरों हेतु उपयोग परिवर्तन प्रभारों का निर्धारण।

का.आ. 358 (अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद् द्वारा अधिसूचना का.आ. 3173 (ई) दिनांक 29 जून, 2018 में यथा उल्लिखित वैधता अवधि को भाग-ए के पैरा 5.3 और भाग-बी के पैरा 4 के अन्तर्गत अगले छह माह की अवधि के लिए अर्थात् 28.06.2019 तक बढ़ाता है।

[फा. सं. एफ 2(14)2017-18/ए.ओ.(पी)/डीडीए]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2019

Fixation of use conversion charges for Mixed Use/Commercial Use of Premises and Shop-cum-residence plots/Complexes later designated as LSCs.

S.O. 358 (E).—In exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government, hereby extends the validity period as mentioned in notification S.O. 3173 (E) dated 29th June, 2018 under para 5.3 of Part A of and Para 4 of Part B, for a further period of six months i.e. up to 28.06.2019.

[F. No. F2(14)2017-18/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

ड्राफ्ट अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2019

आवासीय सम्पत्तियों, सहकारी समूह आवास, मिश्रित उपयोग /व्यावसायिक स्ट्रीट और व्यावसायिक संपत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) के लिए दि.मु.यो.- 2021 के कारण बढ़ाए गए एफ.ए.आर. हेतु लागू की जाने वाली दरों का निर्धारण।

का.आ. 359(अ).—आवासीय सम्पत्तियों, सहकारी समूह आवास, मिश्रित उपयोग /व्यावसायिक स्ट्रीट और व्यावसायिक सम्पत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) के लिए दि.मु.यो.- 2021 के कारण बढ़ाए गए एफ.ए.आर. के लिए लागू की जाने वाली दरों को का.आ. 3172 (ई) दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा अधिसूचित किया गया था। तालिका के कॉलम 4 के अन्तर्गत दी गई दरें छह माह की विंडो अवधि अर्थात् 28.12.2018 तक वैध थीं और उसके बाद कॉलम 5 के अंतर्गत दर्शायी गई दरें लागू की जानी थीं। अब दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद् द्वारा तालिका के कॉलम 4 के अन्तर्गत दरों को लागू करने के लिए विंडो अवधि को आगे छह माह के लिए अर्थात् 28.06.2019 तक बढ़ाता है। उसके बाद तालिका के कॉलम 5 के अंतर्गत दर्शायी गई दरें अधिसूचना का.आ. 3172 (ई) दिनांक 29 जून, 2018 के अनुसार लागू होंगी।

[फा. सं. एफ 2(14)2017-18/ए.ओ.(पी)/डीडीए]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2019

Fixation of rates to be applied for enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing, Mixed Use/ Commercial streets and commercial properties (excluding hotel and parking plots) arising out of MPD 2021

S.O. 359(E).—The rates to be applied for enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing, mixed use/Commercial Streets and Commercial Properties (excluding hotel and parking plots) arising out of MPD 2021 were notified vide S.O.3172 (E) dated 29nd June, 2018. The rates under column 4 of the table were valid for a window period of six months, i.e. upto 28.12.2018 and thereafter the rates as shown under column 5 were to apply. Now, Delhi Development Authority in exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act 1957, with the prior approval of the Central Government, hereby extends the window period for applicability of rates under column 4 of the table for further six months, i.e. upto 28.06.2019. Thereafter the rates shown under column 5 of the table as per Notification S.O.3172(E) dated 29th June, 2018 shall be applicable.

[F. No. F2(14)2017-18/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.